आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
29.10.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबन्दी रैयत अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत डिलु उराँव पिता जामा उराँव के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट) प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत हैः— **<u>खतियान की स्थिति</u>**ः— मौजा हेसला, थाना नं0 128 के सर्वे खतियान में खाता सं0 36 प्लॉट सं0 486, 487 रकबा क्रमशः 1.90 एकड़ परती कदीम तथा 0.72 परती गड्हा दर्ज है। **<u>पंजी ii की स्थिति</u>** :— मांग पंजी <u>ii</u> पृष्ट सं0 30 भाग सं0 I में दर्ज जमाबंदी रैयत डिलु उराँव पिता जामा उराँव के नाम से खाता सं0 36 प्लॉट सं0 486, 487 रकबा 2.62 एकड़ दर्ज है जमाबंदी 1977—78 में दर्ज हुआ है। किन्तु जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। लगान वर्ष 2014—15 तक वसूली है। प्रश्नगत भूमि पर पंजी II रैयत का दखल कब्जा है। पंजी II रैयत के द्वारा साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा हेसला थाना नं0 128 खाता सं0 36 प्लॉट सं0 486, 487 रकबा 2.62 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भूमि को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	